

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जुलाई, 2014

सा.का.नि. 514(अ).—अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश, सरकार के परामर्श से भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 में और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः :—

1. (1) इन नियमों को भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2014 कहा जा सकेगा।
(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली, 2007 की अनुसूची II में, -
(i) राज्य सरकारों के अधीन भारतीय पुलिस सेवा में समय वेतनमान से अधिक वेतन वाले पदों से संबंधित भाग क की तालिका में,-
(क) प्रथम कॉलम में आने वाली 'आंध्र प्रदेश', प्रविष्टि तथा द्वितीय कॉलम में तदनुसूची प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"आंध्र प्रदेश

पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल के अध्यक्ष)	रुपए 80,000(नियत)
पुलिस महानिदेशक	एचएजी+75500 (3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि) 80,000
अपर पुलिस महानिदेशक	एचएजी 67000 (3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि) 79,000
पुलिस महानिरीक्षक	पीबी-4+ग्रेड वेतन 10,000 रु.
उप पुलिस महानिरीक्षक	पीबी-4+ग्रेड वेतन 8,900 रु."

- (ख) प्रथम कॉलम में आने वाली 'तमिलनाडु' प्रविष्टि तथा द्वितीय कॉलम में तदनुरूपी प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः :-

तेलंगाना

पुलिस महानिदेशक (पुलिस बल के अध्यक्ष)	रुपए 80,000 (नियत)
अपर पुलिस महानिदेशक	एचएजी 67000 (3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि) 79,000
पुलिस महानिरीक्षक	पीबी-4+ग्रेड वेतन 10,000 रु.
उप पुलिस महानिरीक्षक	पीबी-4+ग्रेड वेतन 8,900 रु.

- (ii) राज्य सरकारों के अधीन वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता वाले पदों सहित भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों से संबंधित भाग ख में, तालिका में,-

- (क) "आंध्र प्रदेश" प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"पुलिस अधीक्षक";

तेलंगाना

- (ख) "तमिलनाडु" प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, नामतः :-

पुलिस अधीक्षक".

[फा. सं. 11052/1/2014-अ.भा.से.-II(ख)].

दिवाकर नाथ मिश्रा, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मूल नियम भारत के असाधारण राजपत्र में सा.का.नि. संख्या 108(अ) दिनांक 21.02.2008 के तहत प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् इनमें निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तारीखों के तहत संशोधन किए गए।

क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	दिनांक	क्र.सं.	सा.का.नि.सं.	दिनांक
1.	692(अ)	27.09.2008	19	512(अ)	16.05.2010
2.	589(अ)	20.09.2009	20	514(अ)	16.05.2010
3.	172(अ)	03.03.2010	21	516(अ)	16.05.2010
4.	228(अ)	30.03.2010	22	620(अ)	23.07.2010
5.	230(अ)	30.03.2010	23	622(अ)	23.07.2010
6.	232(अ)	30.03.2010	24	624(अ)	23.07.2010

7.	234(अ)	30.03.2010	25	626(अ)	23.07.2010
8.	236(अ)	30.03.2010	26	628(अ)	23.07.2010
9.	238(अ)	30.03.2010	27	725(अ)	01.09.2010
10	240(अ)	30.03.2010	28	879(अ)	02.11.2010
11	242(अ)	30.03.2010	29	29(अ)	17.01.2011
12	244(अ)	30.03.2010	30	204(अ)	08.03.2011
13	246(अ)	30.03.2010	31	320(अ)	13.04.2011
14	248(अ)	30.03.2010	32	763(अ)	18.10.2011
15	250(अ)	30.03.2010	33	606(अ)	06.09.2013
16	252(अ)	30.03.2010	34	608(अ)	06.09.2013
17	299(अ)	08.04.2010	35	654(अ)	24.09.2013
18	510(अ)	16.05.2010			